Title: Need to clear the proposal of Madhya Pradesh Government to provide owner's patta to ploughers of forest land in Vananchal region of Madhya Pradesh.

12.26 hrs.

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण अधिनियम की शक्तियां लागू होने के पश्चात देश के अनेक राज्यों विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के वनांचल क्षेत्र की वह बन भूमि जिस पर आदिवासियों एवं अन्य व्यक्तियों ने कब्जा कर खेती करना प्रारम्भ कर दिया है, ऐसी भूमि के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक के पट्टे देने का मध्य प्रदेश शासन का निर्णय है। तदनुसार भूमि के आबंटन की अनुमति का प्रस्ताव भारत सरकार के पास स्वीकृति देने हेतु विचाराधीन है। भारत सरकार से अपेक्षा एवं निवेदन है कि अनुमति प्रदान करे।